प्रेस-नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के सतत उन्नयन एवं विकास हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों के रू0 एक लाख तक के फसली ऋण माफ किये जाने की योजना गत वर्ष से संचालित है। शासनादेश के अनुसार उक्त योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक (अधिकतम् 2.00 हे0 तक) जोत हो, जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक बैंको से कृषि के लिए फसली ऋण लिया है और यह ऋण जमा न कर सके हों, को इस योजना के अन्तर्गत पात्र माना गया है। जनपद के ऐसे पात्र कृषक जिन्हें अभी तक उक्त योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ हो, फसल ऋण मोचन योजना के पोर्टल **upkisankarjrahat.upsdc.gov.in** पर आनलाइन शिकायत दर्ज कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत पोर्टल 01.06.2018 से 15.06.2018 तक ही खुला रहेगा। केवल पोर्टल पर दर्ज की गयी शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा।

(डा0 अश्वनी कुमार सिंह)
जिला कृषि अधिकारी
इलाहाबाद

कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद

पत्रांक 703 /कृषि/फ0ऋ0मो0यो0/प्रेस नोट/2018-19/ दिनांक 30 मई, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिला सूचना अधिकारी, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस नोट को जनहित में जनपद के समस्त दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, इलाहाबाद ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), इलाहाबाद।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी महोदय, इलाहाबाद को अवलोकनार्थ।

जिला कृषि अधिकारी
इलाहाबाद